12

EDN WING.

प्र. क्या दसवीं कक्षा में प्रवेश के लिए किसी भी छात्र को सीधे ही प्रवेश मिल जाता है या इसके लिए नौवीं कक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है?

उ. इस बोर्ड से सम्बद्ध किसी भी विद्यालय में दसवीं कक्षा में प्रवेश हेतु नौवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

प्र. क्या दसवीं/12वीं में पढ़ने वाले किसी छात्र को किन्हीं कारणों से विद्यालय परिवर्तन करना पड़े तो क्या उसे इसकी अनुमति होती है और यदि अनुमति होती है तो किस तिथि तक विद्यालय परिवर्तन किया जा सकता है ?

उ. ऐसे छात्र प्रवेश वर्ष की 7 जुलाई तक संस्था के मुखिया की स्वीकृति से विद्यालय परिवर्तन कर सकते हैं । इसके बाद यदि किसी को विद्यालय परिवर्तन करना पड़ता है तो इसकी अनुमति बोर्ड कार्यालय से ली जानी आवश्यक है ।

प्र. प्रथम सिमेस्टर एवं द्वितीय सिमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए कितने प्रतिशत उपस्थितियों की आवश्यकता पड़ती है ?

उ. प्रथम सिमेस्टर की परीक्षा के लिए कम से कम 50 एवं द्वितीय सिमेस्टर की परीक्षा के लिए कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थितियां होनी आवश्यक हैं ।

प्र. उपस्थितियों की गणना परीक्षा आरम्भ होने से कितने दिन पूर्व तक की जाती है ?

उ. परीक्षा आरम्भ होने के 14 दिन पूर्व तक उपस्थितियों की गणना की जाती है ।

प्र. क्या संस्था के मुखिया को भी उपस्थितियां पूरी करने का अधिकार है?

उ. हां, संस्था के मुखिया को 15 प्रतिशत उपस्थितियां पूरी करने का अधिकार है ।

प्र. यदि किसी छात्र की उपस्थितियां संस्था के मुखिया द्वारा पूरी करने पर भी पूर्ण नहीं होती हैं तो क्या बोर्ड कार्यालय द्वारा भी उपस्थितियां पूरी की जाती हैं ?

उ. हां, यदि संस्था के मुखिया द्वारा 15 प्रतिशत उपस्थितियां पूरी करने पर भी निर्धारित उपस्थितियां पूर्ण नहीं होती हैं तो संस्था के मुखिया द्वारा ऐसा मामला बोर्ड कार्यालय में भेजा जा सकता है तथा बोर्ड कार्यालय में संस्था के मुखिया की सिफारिश पर 10 प्रतिशत उपस्थितियां पूरी करने का प्रावधान है ।

प्र. विद्यालय त्याग प्रमाण–पत्र के कितने दिन बाद तक प्रवेश लिया जाना आवश्यक है ,

उ. विद्यालय त्याग प्रमाण–पत्र जारी होने के 20 दिन के अन्दर–अन्दर विद्यालय में प्रवेश लिया जाना आवश्यक है। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि जब

EDN WING.

विद्यालय त्याग प्रमाण–पत्र जारी किया गया है उस समय छात्र का विद्यालय में अध्ययनरत होना आवश्यक है ।

प्र. जिन छात्रों का परिणाम बोर्ड द्वारा अनुचित साधन अथवा किसी अन्य कारवश देरी से घोषित किया जाता है तो उक्त छात्र परिणाम घोषित होने के कितने दिन के अन्दर प्रवेश लेने का पात्र है ?

उ. जिस छात्र का परिणाम देरी से घोषित होता है, वह परिणाम घोषित होने के 20 दिन के अन्दर–अन्दर प्रवेश ले सकता है ।

प्र. जो छात्र यू.एम.सी. के कारण शैक्षिक सत्र 2010–11 में प्रथम/द्वितीय सिमेस्टर में दो वर्ष के लिए या 2011–12 में एक वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किए गये हैं, क्या वे छात्र शैक्षिक सत्र 2012–13 में उसी कक्षा में प्रवेश के पात्र हैं ?

उ. हां, ऐसे छात्र शैक्षिक सत्र 2012–13 में उसी कक्षा में पुनः प्रवेश के पात्र हैं बशर्ते कि वे प्रवेश सम्बन्धी अन्य पात्रता शर्तें पूरी करते हों ।

प्र. यदि किसी छात्र का किसी अधिकारी द्वारा झूठा आवेदन–पत्र प्रमाणित किया जाता है तो क्या बोर्ड कार्यालय द्वारा ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है ?

उ. हां, यदि किसी द्वारा ऐसा किया जाता है तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

प्र. क्या Blind candidates, Dyslexic and Spastic candidates, Deaf & Dumb candidates , Permanently disabled from writing with their own hands को परीक्षा में अतिरिक्त समय एवं लेखक देने का प्रावधान है ?

उ. हां, ऐसे छात्रों को लेखक देने की सुविधा के साथ–साथ एक घन्टे पर 20 मिनट अतिरिक्त समय देने का प्रावधान है ।

प्र. क्या लेखक देने के बाद भी एक घन्टे पर 20 मिनट अतिरिक्त समय दिया जा सकता है ?

उ. हां, यदि कोई परीक्षार्थी ऐसा चाहता है तो उसे लेखक के साथ–2 एक घन्टे पर 20 मिनट अतिरिक्त समय दिये जाने का प्रावधान है ।

प्र. क्या लेखक को उ. पु. हल करने के बदले में क्या कोई मेहनताना भी बोर्ड द्वारा दिया जाता है ?

उ. हां, ऐसे लेखक को 50 रूपये प्रति पेपर मेहनताना दिये जाने का प्रावधान है जो कि बोर्ड द्वारा दिया जाता है ।

EDN Wing.

प्र. क्या अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन करने वाले छात्र के लिए अंग्रेजी माध्यम का प्रश्न–पत्र मुद्रित होता है ?

उ. प्रश्न–पत्र दोनों भाषाओं हिन्दी एवं अंग्रेजी में एक साथ मुद्रित होता है।

प्र. बोर्ड परीक्षाओं में एबसोल्यूट एवं रिलेटिव में से कौन सी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई गई है ?

उ. बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं में आन्तरिक मूल्यांकन विषयों में एबसोल्यूट ग्रेडिंग तथा बाह्य परीक्षा में रिलेटिव ग्रेडिंग अपनाई गई है।

प्र. बोर्ड परीक्षाओं में जो रिलेटिव ग्रेडिंग अपनाई गई है, उसमें ग्रेड किस आधार पर दिये जाते हैं ?

उ. किसी विषय विशेष में जो ग्रेड्स दिये जाते हैं उनका विवरण इस प्रकार से है:–

Letter Grade	Percentage of students	
A+	Top 2%	20%
A	Next 6%	
A-	Next 12%	
B+	Next 15%	50%
B	Next 20%	
B-	Next 15%	
C+	Next 12%	30%
C	Next 10%	
C-	Last 8%	

प्र. दसवीं परीक्षा में कितने विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है ?

EDN WING.

उ. दसवीं परीक्षा में हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान एव विज्ञान विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।

प्र . क्या दसवीं में छठे विषय संस्कृत, पंजाब, उर्दू, गृह–विज्ञान आदि विषयों को पढ़ना आवश्यक नहीं है ।

उ. दसवीं कक्षा में प्रत्येक छात्र को छठे विषय के अन्तर्गत आने विषयों में से एक विषय चयन करके उसका अध्ययन करना आवश्यक है लेकिन इसमें उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है ।

प्र. जब छठे विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है तो इसकी परीक्षा देने की उपयोगिता क्या रह जाती है ?

उ. इसकी परीक्षा देने की बहुत ही उपयोगिता है । नियमानुसार यदि किसी छात्र के छठे विषय में अन्य अनिवार्य विषयों हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान एव विज्ञान में से किसी विषय से अधिक अंक होते हैं तो उस स्थिति में छठे विषय के अंक कुल अंकों में जोड़े जाते हैं तथा जिस विषय में सबसे कम अंक होते हैं उस विषय के अंक कुल अंकों में नहीं जोड़े जाते ।

प्र. यदि कोई छात्र पांच अनिवार्य विषयों हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान एव विज्ञान में से किसी विषय में अनुत्तीर्ण है लेकिन छठे विषय में उत्तीर्ण होता है तो क्या फिर भी छठे विषय के अंक कुल अंकों जोड़ कर उसे परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाता है ?

उ. नहीं, ऐसा नहीं है। यदि कोई छात्र अनिवार्य विषयों में से किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण रहता है तो उसे वह विषय उत्तीर्ण करना आवश्यक है, उस स्थिति में छठे विषय के अंक कुल अंकों में नहीं जोड़े जाते ।

प्र . क्या कोई छात्र दसवीं की परीक्षा में हिन्दी विषय में अनुत्तीर्ण हो जाता है तथा उस द्वारा छठे विषय के रूप में लिए गये संस्कृत विषय में उत्तीर्ण हो जाता है तो उस स्थिति में भी उसे हिन्दी विषय उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा या संस्कृत के अंक ही मान लिए जायेंगे ?

उ. यदि कोई छात्र दसवीं कक्षा में हिन्दी विषय में अनुत्तीर्ण रह जाता है लेकिन संस्कृत विषय में उत्तीर्ण होता है तो ऐसी स्थिति में उसके संस्कृत विषय के अंक मान लिए जाते हैं और यदि छात्र अन्य सभी विषयों में उत्तीर्ण होता है तो उसे पूरी परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है और ऐसे छात्र को हिन्दी विषय उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं होता ।

प्र. क्या जिस छात्र को हिन्दी के स्थान पर संस्कृत में उत्तीर्ण होने पर परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया गया है, को हरियाणा सरकार में दसवीं में हिन्दी के बिना सरकार सर्विस मिल सकती है ।

(23)

16

EDN WING.

उ. ऐसे छात्रों के प्रमाण–पत्रों में यह स्पष्ट लिखा जाता है कि उन्हें हिन्दी विषय उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं है । हिन्दी के स्थान पर संस्कृत विषय को माने जाने का निर्णय हरियाणा सरकार द्वारा ही लिया गया था । इस प्रकार यह निर्णय सरकार द्वारा सरकार नौकरियों को भी ध्यान में रखते हुये ही लिया गया होगा । फिर भी इसकी जानकारी हरियाणा सरकार से ली जा सकती है क्योंकि इस बोर्ड द्वारा सर्विस के मामले डील नहीं किए जाते ।

प्र. बारहवीं परीक्षा में कितने विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है ?

उ. निर्धारित पाठ्य योजना अनुसार 5 विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

प्र. क्या कोई छात्र नियमित पढ़ाई करते हुये अतिरिक्त विषय भी ले सकता है ?

उ. हां, नियमित छात्र अन्य विषयों के साथ उसी संकाय के विषयों में से अतिरिक्त विषय ले सकता है ।

प्र. क्या कोई छात्र यदि अतिरिक्त विषय में उत्तीर्ण हो जाता है और लिए हुए अन्य अनिवार्य/ऐच्छिक विषयों में किसी विषय में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो क्या उसे परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है ?

उ. यदि कोई छात्र अतिरिक्त विषय में उत्तीर्ण होता है तथा किसी ऐच्छिक विषय में अनुत्तीर्ण रहता है तो उस स्थिति में अतिरिक्त विषय उस एच्छिक विषय के स्थान पर मान लिया जायेगा ।

प्र. क्या कोई छात्र हिन्दी/अंग्रेजी अनिवार्य विषय में अनुत्तीर्ण होता है तो क्या उस स्थिति में भी अतिरिक्त विषय इन विषयों का स्थान ले सकता है ?

उ. नहीं, ऐसे छात्र को हिन्दी / अंग्रेजी अनिवार्य विषय को उत्तीर्ण करना आवश्यक है ।

प्र. यदि कोई छात्र 12वीं परीक्षा में निर्धारित 5 अनिवार्य/ऐच्छिक विषयों उत्तीर्ण है तथा छठे अतिरिक्त विषय में भी उत्तीर्ण होता है तो उस स्थिति में क्या नीति अपनाई जाती है ?

उ. यदि कोई 5 मुख्य विषयों के साथ छठे अतिरिक्त विषय में भी उत्तीर्ण होता है तो ऐसी स्थिति में अनिवार्य विषयों को छोड़ कर शेष ऐच्छिक विषयों की तुलना में यदि अतिरिक्त विषय में अधिक अंक प्राप्त किए गये हैं तो उसके कुल अंकों में उस अतिरिक्त विषय के अंक जोड़े जाते हैं ।

प्र. क्या दसवीं एवं बारहवीं परीक्षा में कृपांक भी दिये जाते हैं ?

उ. हां दोनों ही परीक्षाओं में छात्र द्वारा जितने अंकों की परीक्षा दी गई है, उनका एक प्रतिशत तक कृपांक देने का प्रावधान है।

EDN WING

प्र. क्या कृपांक पी.ए.आर.(कम्पार्टमेंट) अर्जित करने के लिए भी दिये जाते हैं ?

उ. नहीं, पी.ए.आर. अर्जित करने के लिए कृपांक नहीं दिये जाते । कृपांक उसी अवस्था में दिये जाते हैं, यदि छात्र उन कृपांक से परीक्षा में उत्तीर्ण होता है ।

प्र. क्या एक ही विषय में कृपांक दिये जाते हैं या कई विषयों में दिये जाते हैं ?

उ. यदि छात्र कृपांक देने से परीक्षा में उत्तीर्ण होता है तो एक प्रतिशत तक के कृपांक एक विषय या सभी विषयों में दिये जा सकते हैं अर्थात माना यदि 500 अंकों की परीक्षा दी गई हो तो अधिकतम 5 अंकों के कृपांक दिये जा सकते हैं ये अंक आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक विषयों में भी दिये जा सकते हैं ।

प्र. क्या कल्पना चावला पुरस्कार केवल दसवीं परीक्षा में प्रथम आने वाली लड़की को ही दिया जाता है?

उ. नहीं, कल्पना चावला पुरस्कार दसवीं एवं 12वीं में (कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय तीनों में ही) प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली प्रत्येक लड़की को दिया जाता है ।

प्र. सुशीला स्मृति पुरस्कार किसे दिया जाता है ?

उ. पूरे प्रदेश में गुणात्मक एवं परिमाणात्मक आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यालयों में कार्यरत उन महिला अध्यापकों/प्राध्यापकों में से निर्धारित प्रकिया अपनाकर चयन करके दिया जाता है जिन द्वारा उस शैक्षिक सत्र में उस सम्बद्ध कक्षा का अध्ययन करवाया गया है ।

प्र. कक्षा छठी से बारहवीं तक सभी विषयों का पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों के नाम कहां से प्राप्त किए जा सकते हैं?

उ. बोर्ड द्वारा कक्षा छठी से बारहवीं तक के सभी विषयों का पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों के नाम अपनी वेबसाईट पर अपलोड किए हुए है।

प्र. क्या बोर्ड द्वारा बोर्ड की परीक्षा से सम्बन्धित कक्षाओं के प्रश्न पत्र डिजाईन तैयार करवाये जाते हैं?

उ. बोर्ड द्वारा सैकण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी कक्षाओं के प्रश्न पत्र डिजाईन तैयार करवाकर बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड किए हुए हैं किसी को यदि जरूरत है तो बोर्ड की साईट से डाउनलोड किए जा सकते हें।

प्र. क्या समय–समय पर होने वाले संशोधनों की जानकारी वेबसाईट पर दी जाती है?

EDM WING.

उ. शैक्षिक सत्र के आरम्भ में ही सभी संशोधन उपरान्त बोर्ड की वेबसाईट पर सभी जानकारियों के साथ वेबसाईट पर अपलोड किए जाते है। यदि आवश्यकता हो तो इस बारे समाचार पत्रों में भी समय–2 पर विज्ञापन के माध्यम से सूचना सभी सम्बन्धित को दी जाती है।

प्र. क्या नेत्रहीन छात्रों के लिए विशेष प्रकार के प्रश्न–पत्र तैयार करवाये जाते हैं ?

उ. हां, दसवीं में नेत्रहीन छात्रों के लिए गणित विषय का अलग प्रकार का प्रश्न–पत्र तैयार करवाया जाता है ।

प्र. क्या हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद, बोर्ड आफ हायर सैकेण्डरी एजुकेशन दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़, कौंसिल ऑफ सैकेण्डरी एजुकेशन, मोहाली की परीक्षाएं हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं के समकक्ष मान्यता प्राप्त हैं ?

उ. नहीं, उपरोक्त में से किसी भी संस्थान की परीक्षाएं इस बोर्ड की किसी भी परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त नहीं है । जिन बोर्ड/संस्थानों की परीक्षाओं को इस बोर्ड द्वारा समकक्ष मान्यता प्रदान की हुई है, उनकी सूची बोर्ड वैबसाईट पर उपलब्ध है ।

प्र. हरियाणा राज्य में डी.एड. कोर्स की अवधि कितनी है?

उः सितम्बर 2010 से आरम्भ हुए व त्तपश्चात् के सत्रों से डी.एड. कोर्स की अवधि तीन वर्ष कर दी गई है। प्रथम दो वर्ष छात्र–अध्यापक संस्थान में अध्ययन करेंगे व अन्तिम तीसरा वर्ष इण्टर्नशिप के लिए रखा गया है।

प्र. डी. एड. परीक्षाओं के दौरान यदि अनुचित साधन प्रयोग का मामला बनता है और उचित सुनवाई उपरान्त छात्र–अध्यापक को एक या दो वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे छात्र–अध्यापकों को किस सिमेस्टर में पुनः प्रवेश लेना होगा ?

उ.: यदि किसी छात्र–अध्यापक को प्रथम/द्वितीय/तृतीय सिमेस्टर की परीक्षाओं के दौरान एक या दो वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तो उसे अयोग्यता अवधि समाप्त होने उपरान्त आगामी सिमेस्टर में नियमित प्रवेश लेना होगा व जिस सिमेस्टर की परीक्षा के दौरान अयोग्य घोषित किया गया है, उस सिमेस्टर की परीक्षा Ex-Pupil Teacher के रूप में देनी होगी। बशर्ते कि छात्र–अध्यापक अन्य शर्तें पूरी करता हो। उदाहरणार्थ यदि किसी छात्र–अध्यापक का नवम्बर 2011 में द्वितीय सिमेस्टर की परीक्षाओं के दौरान एक वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो छात्र–अध्यापक का नवम्बर–2011 का तृतीय सिमेस्टर का प्रवेश स्वतः ही रद्द हो जाएगा। यह छात्र–अध्यापक अक्तूबर/नवम्बर 2012 में द्वितीय सिमेस्टर की परीक्षा Ex-Pupil Teacher के रूप में देगा व तृतीय सिमेस्टर में नियमित प्रवेश लेगा इसी कड़ी में यदि चतुर्थ सिमेस्टर की परीक्षाओं के दौरान किसी छात्र–अध्यापक को एक या दो वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तो ऐसे छात्र–अध्यापक अयोग्यता अवधि की समाप्ति उपरांत चतुर्थ सिमेस्टर की परीक्षा Ex-Pupil Teacher के रूप में देगा। बशर्ते कि वह

EDN Wing

अन्य शर्तें पूरी करता हो। इन मामलों में चतुर्थ सिमेस्टर की परीक्षा Ex-Pupil Teacher के रूप में देने उपरांत ही ऐसे छात्र–अध्यापक इंटर्नशिप किए जाने के योग्य होंगे।

प्र. हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विभिन्न वर्गों के लिए कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है?

उ. शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 31–10–2011 के अनुसार हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 में उत्तीर्ण होने के लिए केवल एस.सी. वर्ग के परीक्षार्थियों को 5 प्रतिशत की छूट दी गई है। इस प्रकार एस.सी. वर्ग को इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55 प्रतिशत व अन्य सभी वर्गों के परीक्षार्थियों के लिए 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

प्र. हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 के प्रौस्पैक्ट्स में वर्णित Clause "Candidates studying in final year of the qualifying professional degree which ever is required for eligibility" का क्या अर्थ है?

उ. उपर्युक्त Clause से तात्पर्य है कि यदि कोई परीक्षार्थी हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा की विभिन्न कैटेगरी में आवेदन के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अन्तिम वर्ष में केवल अध्ययन भी कर रहा है, चाहे उसने अन्तिम वर्ष की परीक्षा ना भी दी हो, वह पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने का पात्र है। हालांकि सरकारी सेवा में आवेदन करने हेतु पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण–पत्र उसी अवस्था में मान्य होगा जब वे अन्तिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे।